बावजूद सूचना / तामील के उपस्थित नहीं हैं।
जा बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई। पत्रावली
वास्ते आदेश दिनांक 12-2-19 को पेश हो।

Earsh
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

2.19 वकील अपीलार्थी उप० अपील अपीलार्थी
स्वीकार की जाती है निर्णय अलग से लिखा
जाकर शामिल पत्रावली किया गया [illegible] तहसीलदार
नवलगढ़ को तहरीर जावे व पत्रावली [illegible]
हुई हो तो अधीन कोर्ट को भेजी जावे तथा बाद
तकमील कार्यवाही जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दि० 12.2.19 को सुनाया गया

Earsh
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

14. सुमन
15. विनोद पुत्रियान मोटू
16. रामधर
17. मोहन पुत्रान तारू जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
18. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.10.2001
नामा0सं0 537 सरपंच ग्राम पंचायत कोलसिया पं.स. नवलगढ

निर्णय

निर्णय तिथि 12.02.2019

अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कोलसिया की सरहद में ख.न. 820 रकबा 1.54 है0 स्थित है तथा वाके ग्राम खेदडों की ढाणी तन कोलसिया की सरहद में खाता संख्या नया 96 के अंतर्गत भूमि ख.न. 830/0.05, 831/0.18 किता 2 कुल रकबा 0.23 है0 जो संवत 2056 से 2059 में खाता सं0 361 के अंतर्गत ख.न. 820/1.54, 830/0.05, 831/0.18 कुल किता 3 कुल रकबा 1.77 है0 वाके ग्राम कोललिया में स्थित दर्ज राजस्व रिकार्ड सही है जिसकी खातेदारी रामलाल खांगा पेमा पिता बालू तारू तेजा पिता लादू हि0 1/3 सही रूप से दर्ज थी शेष हिस्सेदारों की भूमि जमाबंदी अनुसार सही रूप से थी इस अपील में केवल स्व0 लादू के 1/3 हिस्सा का विवाद" अन्य किसी सह–खातेदारान बाबत कोई विवाद नही है इसलिये इस अपील में अन्य सह खातेदारान को पक्षकारान नही बनाया गया है। स्व0 लादू के तेजाराम तारू व बालू तीन पुत्र हुये जो फौत हो चुके हैं। जिसमें केवल तेजाराम के फौत होने पर फौतगी इन्तकाल भरा गया है। खांगाराम अविवाहित नाऔलाद फौत हो चुका है तथा स्व0 रामलाल के वारिसान रेस्पोडेन्ट्स संख्या 8 लगायत 10 है तथा स्व0 रामलाल के वारिसान रेस्पोडेन्ट्स संख्या 11 लगायत 17 हैं तथा स्व0 तेजाराम के वारिसान अपीलान्ट व

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

ण्डेन्ट्स संख्या 2 लगायत 6 हैं। उपरोक्त वर्णित ख.न. 820, 830, 831 कुल रकबा 1.77 है0 में स्व0
का 1/3 हिस्सा था। स्व0 लादू के तीन पुत्र तेजाराम तारू बालू पैदा हुये जिसमें स्व0 तेजा का
3 यानिकी विवादित भूमि में 1/9 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड था। स्व0 तेजा के स्वर्गवास उपरांत
मा0 सं0 537 पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जिसमें पटवारी हल्का ने 1/9 हिस्सा के स्थान पर
/12 हिस्सा गलत रूप से दर्ज कर दिया, जिससे अपीलान्ट को बिना किसी प्रकार की सूचना दिये व
सुनवाई का अवसर दिये तथा पटवारी की गलती की वजह से हिस्सा गलत दर्ज कर दिया जिसका
उन्हे को कोई अधिकार नही था जिसके विरूद्ध यह अपील पेश है। खाता.सं0 298 के अंतर्गत ख.न.
820 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम कोलसिया तथा खाता सं0 96 के अंतर्गत भूमि ख.न. 830/0.05,
831/0.18 कुल किता 2 कुल रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम खेदडों की ढाणी तन कोलसिया की खातेदारी
अपीलान्टस के पिता तेजा के नाम से हिस्सा 1/9 दर्ज राजस्व रिकार्ड थी परन्तु अपीलान्ट्स संख्या 2
लगायत 6 के पिता व दादा स्वर्गवास हाने पर नामा0सं0 537 दिनांक 05.10.2001 के भरे जाने के बाद
न तो पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को कुछ बताया तथा न अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने
अपीलान्ट को बुलाकर कोई पूछताछ की केवल मनमर्जी से बिना किसी जांच के दिनाकि 21.09.2001
की पटवारी हल्का ने नमा0 सं0 537 भरा जिसमें स्व0 तेजाराम के दर्ज हिस्सा 1/9 के स्थान पर
1/12 हिस्सा दर्ज कर दिया जो कि अदालत मातहत ने बिना जांच किये निर्णय दिने की कानूनी भूल
की इसलिये अदालत मातहत निर्णय दिनांक 05.1.2001 निरस्त करने योग्य है। अपीलान्ट बैंक से लोन
लेने हेतु पटवारी हल्का के पास जमाबंदी की नकल दिनांक 31.08.2018 को लेने पर अपीलान्ट को
उक्त गलत राजस्व रिकार्ड का ईलम हुआ कि नामा0सं0 537 दिनांक 21.09.2001 में पटवारी हल्का ने
तेजा के हिस्सा 1/9 के स्थान पर 1/12 दर्ज कर गलत नामान्तरण भर दिया। अपीलान्ट ग्रामीण
प्रवेश का अनपढ व्यक्ति है नकल प्राप्त की तो अपीलान्ट को इस गलत रूप से नामा0 में दर्ज तेजा के
हिस्सा 1/9 के स्थान पर 1/12 का ईल्म हुआ और यह अपील जानकारी के रोज से अन्दर मियाद
प्रस्तुत है। किसी कारणवश अपील अन्दर मियाद नही मानी जाती है तो दफा 5 मियाद अधिनियम का
प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अदालत मातहत
का निर्णय दिनांक 05.10.2001 निरस्त फरमाया जाकर सही रूप से स्व0 तेजा के नाम हिस्सा 1/9 का
अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के नाम नामा0 स्वीकार फरमाया जाने का आदेश प्रदान करे
तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 17 का हिस्सा 2/9 दर्ज किया जावे और शेष सह खातेदारों के नाम
जमाबंदी अनुसार यथावत रखा जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका की गई तथा तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई। रेस्पोडेन्ट्स
बावजूद नोटिस तामील के न तो उपस्थित हुये तथा इनकी और से कोई जबाब अपील पेश हुआ अतः
इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा बहस वकील अपीलान्ट्स सुनी गई। वकील
अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थना पत्र अं. धारा 5 मियाद अधिनियम का सलग्न
अपील प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट का हिस्सा दर्ज तो हुआ परन्तु 1/9 के स्थान पर 1/12
हिस्सा होने की वजह से कम हिस्से के संबंध में जानकारी हुई तथा बालू तेजा का पुत्र है भाई नही है
अतः नामा0 सं0 537 दिनांक 05.10.2001 को खारीज किया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस के
दौरान आरएलडब्लू 2009(1)आरजे पेज नं. 151 से 153,आरएलडब्लू 2006(1)आरजे पेज नं. 276 से 284,
तथा आरएलडब्लू 2008(2)आरजे पेज नं. 1142 से 1144 नजीर के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसप्रकार
बहस तथ्यों पर अमल किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल
जमाबंदी संवत 2016 से 2019 के अनुसार भूमि ख.न. 726 रकबा 8 बीघा 4 बिश्वा, 727 रकबा 4 बीघा
18 बिश्वा, 728 रकबा 4 बीघा 10 बिश्वा, 732 रकबा 9 बीघा 8 बिश्वा, 733 रकबा 5 बीघा 7 बिश्वा,
738 रकबा 7 बीघा 7 बिश्वा, ख.न. 736 रकबा 4 बीघा 4 बिश्वा, 741 रकबा 3 बीघा 16 बिश्वा, ख.न
748 रकबा 3 बीघा 6 बिश्वा, 743 रकबा 10 बीघा 12 बिश्वा ख.न. 820 रकबा 7 बीघा किता 12 कुल
रकबा 79 बीघा 5 बिश्वा की खातेदारी में बाल्या तारया तेजा पिता लादू हि0 1 बीघा 4 बिश्वा जाति
जाट सो.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2056 से 2059 के अनुसार भूमि ख.न.
820/1.54, 830/0.05, 831/0.18 किता 3 कुल रकबा 1.77 है0 की खातेदारी रामलाल खांगा पेमा
पि0 बालू तारू तेजा पि0 लादू हि0 1/3 रामकुवार पुत्र भूराराम तुलसा पुत्र रेखा लिछमण चिमना पि0
नत्थू नेमीचन्द पि0 भींवा हि0 1/3 हनुमान रामरतन पि0 ईशर सोनाराम हरदेवाराम पि0 टीकूराम हि0
1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त जमाबंदी में लादू का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड
है। मुताबिक वंशावली के अनुसार लादू के तीन पुत्र बालू तारू व तेजा तीन पुत्र थे जिनके लादू के

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

हिस्से में प्रत्येक के 1/3, 1/3 अर्थात तीनों पुत्रों को प्रत्येक का 1/9, 1/9 हिस्सा दर्ज रिकार्ड
रन्तु नामा0 सं0 537 के अवलोकन से तेजा के फौत होने पर उनके वारिसान का 1/9 हिस्सा के
पर 1/12 हिस्सा का तस्दीक किया गया है जो तेजा के हिस्सा से उसके वारिसान को 1/9 के
पर 1/12 हिस्सा ही मिला है। अतः अपील अपीलान्ट न्यायोचित होने से स्वीकार की जाती है।

आदेश

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत कोलसिया की नामा0सं0 537 नि.दि. 05.
2001 खारीज किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि
मा0 सं0 537 में तेजा के हक हिस्सा व वारिसान की जांच की जाकर पुनः नामान्तरण कार्यवाही की
वे। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा
द तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

Scanned by CamScanner